पत्र सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होता हैं, वहीं आवेदक से यह अपेक्षा हैं कि वह इन योजनाओं के तहत लाइसेंस पाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा-पत्र/वचनपत्र दें ।

(ड़) और (च) शुल्क छूट योजना और ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति को लाइसेंसिंग प्राधिकारी मानीटर करते हैं और ये उन मामलों में विदेशी व्यापार (विकास एंव विनियमन) अधिनियम,1992 और उसके तहत बनाए गए आदेशों तथा नियमों के अधीन यथोचित कार्यवाही करते हैं जिनमें अनुमत अवधि के भीतर निर्धारित निर्यात दायित्व की पूर्ति में कमी रह गई हो । चूंकि शुल्क छूट योजना और ईपीसीजी योजना के तहत वर्ष 1994-95 में जारी लाइसेंसों से संबंधित निर्यात दायित्व की अवधि वर्ष 1994-95 के बाद एक बढ़ाई जाएगी अतः ऐसे मामलों में निर्यात दायित्व को पूरा नहीं किए जाने पर कोई कानूनी कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता । किन्तु,पहले की अवधि के दौरान जारी लाइसेंसों के संबंध में की गई बूक के मामलों में यथोचित अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाती हैं ।

Per Capita Distribution of Levy Sugar

1840. SHRI NARAIN PRASAD GUPTA:
SHRI GOVINDRAM MIRI.

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether sugar, is provided to Madhya Pradesh as per norms; if not, when the same will be provided;

(b) whether the margin money for sugar distribution has not been re-determined for a long time; and

(c), whether Government are considering upon any scheme to enhance margin money?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Yes, Sir. The allocation of levy sugar to Madhya Pradesh is being made on the norms of ensuring minimum 425 gms. per capita monthly availability for the projected population as on 1.10.1986.

(b)and (c) The margins for wholesalers and retailers were enhanced w.e.f; 1.4.1993. Guidelines for fresh margins w.e.f. 1.4.1994 were circulated for receiving proposals from State Governments. Madhya Pradesh Government was also requested to submit a detailed proposal as per the guidelines. However, the proposal from Madhya Pradesh Government is yet to be received.

निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा शोषण

1841. **श्री कामेश्वर पासवान**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः (क) क्या सरकार को निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बेरोजगार युवाओं का शोषण किये जाने की जानकारी हैं;

(ख) क्या अधिकांश सुरक्षा एजेंसियां सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम पारिश्रमिक देती हैं,

(ग) यदि हां,तो इन सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किये जा रहे श्रम के शोषण को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने की संभावना हैं;और

(घ) यदि नहीं,तो सरकार ने इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं और वे कितने उपयोगी सिद्व हो रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए.संगमा): (क) और (ख) निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बेरोजगार युवाओं को शोषण किए जाने के संबंध में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) और(घ) निजी सुरक्षा एजेंसियों के कार्यकरण को स्ट्रीमलाइन करने और निजी सुरक्षा गार्ड्स एजेंसियों के नियमन में एक रूपता लाने के प्रयोजन से,14.12.94 को निजी सुरक्षा गार्ड्स और एजेंसीज (विनियमन) विधेयक,1994 को राज्य सभा में पुरः स्थापित किया गया था,जिसकी अभी गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही हैं । प्रस्तावित विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अनुपालन से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं ।

Decline in Growth Rate of Tea

1842. SHRI B.K. HARIPRASAD:-Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the rate of growth for tea has declined in terms of domestic consumption and also in terms of per capita consumption of tea;

(b) whether there have been consistent setback in the export prospects for tea, especially in the wake of embargo threatened by German importers of Indian tea on grounds of deployment of child labour in Indian tea plantations/processing units and also higher level of chemical pesticide residues than the maximum residue level (MRL) permitted by German laws; and

(c) whether Government propose to devise a new strategy for promoting tea as national beverage and boost its domestic consumption?